



## -:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.12.2025

### कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पुलिस लाइन नवीन सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के तत्वाधान में बाल विवाह, किशोर अपराधों/हिंसा आदि की प्रभावी रोकथाम के संबंध में की गयी मासिक समीक्षा बैठक। सभी सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में बाल विवाह, बाल अपराधों/हिंसा, मानव तस्करी आदि की रोकथाम आदि हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.12.2025 को पुलिस लाइन बांदा नवीन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit-SJPU) के तत्वावधान में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाल विवाह की रोकथाम, किशोर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, बाल हिंसा के मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई, पीड़ित बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल अपराध/हिंसा से जुड़े सभी मामलों पर संवेदनशील के साथ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा सक्रियता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें साथ ही जनपद में बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से अभियान चलाए जाएं, पीड़ितों को अधिक से अधिक आवश्यक सहायता प्रदान कराने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए। इस दौरान बाल विवाह अपराधों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करते हुए दिनांक 04.12.2025 से 08.03.2026 तक 100 दिवस का विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में लोगों को जागरूक कराने हेतु जनपद के सभी थानों को उनसे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं आदि की जानकारी देते हुए सभी को निर्देशित किया कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही लोगों को इस सम्बन्ध में शपथ भी दिलाई गई। स्कूल, ग्राम स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को और अधिक जागरूक करें जिनमें महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने हेतु विशेष जोर दिया जाए। बाल अपराध/हिंसा के मामलों में पीड़ित बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए संबंधित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार की समस्या या कानूनी अड़चन आने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराए साथ ही सम्बन्धित विभागों से भी सम्पर्क करें। समीक्षा बैठक में बाल कल्याण समिति के सदस्य, यूनिसेफ सदस्य, वन स्टॉप सेंटर सदस्य, चाइल्ड लाइन सदस्य, विशेष किशोर पुलिस इकाई व एएचटीयू टीम, समस्त थाना बाल कल्याण अधिकारी ग्रामीण स्वावलंबन समिति संस्था सदस्य, ग्रामीण परंपरा संस्था सदस्य, यूपी साथी संस्था सदस्य आदि के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।